न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्याः 603/016
रज्जु दिनांकः 26/10/2016
निर्णय दिनांक 30/05/2017

बन्ना पुत्र लाला जाति जाट निवासी मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर।

——प्रतिवादी

वाद पत्र–घोषणा एवं इन्द्रांज दुरूस्ती

उपस्थितः

श्री भोजराज सिंह राजावत एडवोकेट
श्री शेरसिंह नरूका एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर

निर्णय दिनांकः 30.05.2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 71/524 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 143 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 01 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा व खाता संख्या 45 के आराजी खसरा नम्बर 561/71 रकबा 05 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम मण्डप पटवार हल्का समेलिया भू0अभि0नि0 क्षेत्र चॉदमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। तथा लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। उक्त आराजी भूमि के खसरा नम्बर 71/524 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 143

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 01 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी को अलोटमेन्ट शुदा भूमि है जो वादी को दिनांक 21.05.1964 को बन्ना पुत्र लाला जाति जाट निवासी मण्डप तहसील फागी के नाम से आवंटित हुई थी तथा मुताबिक आवंटन दिनांक 15.06.1968 को नामान्तकरण तस्दीक हेतु पेश हुआ था जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत किशोरपुरा द्वारा सर्वसम्पती से निर्णय लिया गया था की पटवारी हल्का उक्त खसरा नम्बरान की आराजी भूमि को सिवायचक से हटाकर कॉलम नम्बर 11 के अनुसार अंकन करें। परन्तु दोराने नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की आराजी में मुताबिक आवंटन आदेश बन्ना पुत्र लाला जाति जाट सा0 देह मण्डप के बजाय सहवन से बंशी पुत्र लाला जाति जाट सा0 देह मण्डप के नाम से भरकर तस्दीक करवा दिया गया एवं इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 561/71 रकबा 05 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 05 बीघा भूमि जो कि वादी की क्रय शुदा आराजी है जिसमें भी वादी का नाम बंशी पुत्र लाला ही दर्ज है। जबकि स्वयं वादी द्वारा ग्राम पंचायत किशोरपुरा से उक्त क्रय शुदा आराजी के नामान्तकरण के समय बन्ना पुत्र लाला के नाम से ही ग्राम पंचायत से रसीद प्राप्त की थी। पर राजस्व कामगारों की अनदेखी से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बंशी पुत्र लाला कौम जाट सा0 देह कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम बन्ना पुत्र लाला ही है। वादी उक्त आराजी पर शूरू से काबिज है जिसका राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में बंशी पुत्र लाला दर्ज हो रखा है। उक्त नाम वादी का ही बोलता नाम है। वादी के अन्य दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड में सही नाम बन्ना पुत्र लाला दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में बन्शी पुत्र लाला दर्ज होने से अपने नाम खातेदारी आराजी को उन्नत विकसित करने में मिलने वाली राजकीय अनुदान व बैंक ऋण लेने से उक्त कारण से वंचित होना पड रहा है। वादी अपने नाम को दुरूस्त करवाने हेतु कई बार हल्का पटवारी से निवेदन कर चुका है परन्तु नाम दुरूस्त नही हुआ इसलिए वादी को यह वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है। वादी अनपढ एवं गरीब व्यक्ति है। जिसे अपने उक्त गलत नाम के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने की अब से पूर्व जानकारी नही रही जानकारी होते ही वादी ने पटवारी हल्का से अपने नाम को

उपखण्ड अधिकारी, फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

दुरूस्त करवाने बाबत निवेदन किया था परन्तु वादी का नाम दुरूस्त नही हो सका इसलिए वादी को उक्त वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना लाजमी आया है। वादी का सही नाम लाला है। एवं इसी नाम से गॉव में जाना पहचाना जाता है। बन्ना पुत्र लाला व बंशी पुत्र लाला एक ही व्यक्ति है इसनामा का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम मण्डप में नही है। राजस्व कार कानूनगो वादी का नाम बंशी दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी पर वादी ही काबिज काश्त है। वादी के नाम से बंशी पुत्र लाला के स्थान पर बन्ना पुत्र लाला किये जाने से कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा जबकि अपना नाम दुरूस्त होने से वादी अपने नाम से उक्त आराजी को उन्नत व उपजाउ कर सकेगा। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में बंशी पुत्र लाला के स्थान पर बन्ना पुत्र लाला किया जाना न्यायोचित है। उक्त वाद में प्रतिवादी पक्षकार सरकारी कर्मचारी होने से वाद पत्र को पेश करने से पूर्व 80 सी. पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने से उक्त नोटिस दिया जाना सम्भव नही है। वादी को वाद कारण शुरू से ही उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी को अपना नाम गलत दर्ज होने की जानकारी होते ही बिना किसी विलम्ब के यह वाद पेश है। अतः वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र मद नम्बर 1 का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बंशी पुत्र लाला के स्थान पर बन्ना पुत्र लाला दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार फागी को तहरीर जारी फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। पेरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश किया। जवाब में बताया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 45 व 54 बन्सी पुत्र लाला जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत है जिसका ना.सं. 127 ग्राम मण्डप के द्वारा बन्सी पुत्र लाला जाट के नाम गैर खातेदार से खातादारी स्वीकृत है किन्तु आराजी खसरा नम्बर 561/7 क्रयशुदा आराजी है, जिसमें वादी द्वारा स्वयं बन्सी पुत्र लाला के नाम क्रय की है। वादी अपने दोनो ही नाम बता रहा है जिसमें बन्सी के नाम से वादी ने स्वयं भूमि क्रय की है तथा नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

संख्या 127 का अवलोकन करने पर भी यह स्पष्ट होता है कि वादी का नाम बन्ना के स्थान पर बन्सी करवाया गया है। क्योंकि नामान्तकरण में बन्ना को बन्सी किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। जिसमें वादी भी स्वयं सहमति भी जाहिर होना प्रतीत होती है।

जवाब पेश होने पर तनकीयात कायम की गई। वादी ने साक्ष्य में स्वयं एवं जगदीश जाट पुत्र रोडू, रामदयाल पुत्र रंगलाल जाट, रंगलाल पुत्र जुवारा जाट निवासी मण्डप तहसील फागी के शपथ पत्र पेश किये।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं ग्राम पंचायत किशोरपुरा का प्रमाण आदि का अवलोकन करने पर पाया कि बन्सी पुत्र लाला के स्थान पर बन्ना पुत्र लाला दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 71/524 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 143 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 01 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा व खाता संख्या 45 के आराजी खसरा नम्बर 561/71 रकबा 05 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम मण्डप पटवार हल्का समेलिया भू0अभि0नि0 क्षेत्र चॉदमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी में बंशी पुत्र लाला के स्थान पर बन्ना पुत्र लाला दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2017 को न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशोरपुरा में मेजमेआम सुनाया गया।

मुद्रा

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट किशोरपुरा)

पीठासीन अधिकारी :–सावन कुमार चायल (आर ए एस)

उनवान

बन्ना बनाम सरकार वगै0

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 603/2016

निर्णय

दिनांक :– 30.05.2017

वादी की ओर से स्वंय व प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.05.2017 को श्री सावन कुमार चायत (आर ए एस) पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि–

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 71/24 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 143 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 315 रकबा 01 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा व खाता संख्या 45 के आराजी खसरा नम्बर 561/71 रकबा 05 बीघा कुल किता 01 कुल रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम मण्डप पटवार हल्का समेलिया भू0अभि0नि0 क्षेत्र चॉदमाकलां तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी में बंशी पुत्र लाला के स्थान पर बन्ना पुत्र लाला दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालना तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. रूपयेपरप्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रूपया	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी